मीडिया सेल

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या–93

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का किया जा रहा है कड़ाई से अनुपालन

सघन जॉच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1825 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित

अपराधिक व्यक्तियों के 480 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये, 3946 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये

सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही में 13,61,464 लोग पाबन्द किये गये

पुलिस विभाग द्वारा 5022 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 5249 कारतूस, 2066.5 किलोग्राम विस्फोटक व 260 बम बरामद, अवैध शस्त्र बनाने वाले 88 केन्द्र सीज

दिनांक 09 अप्रैल, 2024 लखनऊ

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1825 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 08 अप्रैल, 2024 तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 480 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये।

3946 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 20,79,645 लोगों को पाबन्द किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये है, जिनमें से 13,61,464 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 5022 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 5249 कारतूस, 2066.5 किलोग्राम विस्फोटक व 260 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 1634 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 88 केन्द्रों को सीज किया गया।

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में 08 अप्रैल को पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 02 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 25 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 75,593 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। साथ ही 266 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 241 कारतूस व 4 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 121 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 06 केन्द्रों को सीज किया गया।

————————